UPRB010015702015
न्यायालय VI Addl. District and Session Judge, Rae Bareli
पीठासीन अधिकारी– (PRABHAT KUMAR YADAV), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01634
सत्र परीक्षण संख्या 420/2015
राज्य प्रति रामनरेश आदि

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 311 दं.प्र.सं. का निस्तारण

06.02.2025

पत्रावली वास्ते आदेश नियत है।

उभयपक्ष को प्रार्थनापत्र 126क अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता, व आपत्ति पर सविस्तार सुना जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्त रामनरेश द्वारा प्रार्थनापत्र 126क अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से यह कथन किया गया है कि वाद उपरोक्त के साक्षीगण रामदल पासी, श्रीमती कन्यावती व माता बदल से कुछ बिन्दुओं घटना पर व चोटो की प्रकृति पर जिरह नहीं हो पाई है, उक्त साक्षीगण से पुनः जिरह किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः उक्त साक्षी को अभियोजन साक्षी के रूप में तलब कर परीक्षित कराये जाने की याचना की गयी।

उक्त प्रार्थनापत्र पर बचाव पक्ष द्वारा मौखिक आपत्ति की है कि वाद को मात्र लम्बित करने के प्रयोजन से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य विदित है कि उक्त मुकदमा लगभग दस वर्ष, (सन् 2015) से लम्बित है। दिनांक 28.10.2015 को अभियुक्तगण रामनरेश, पनक्षेश्वर व सुखराम पर आरोप विरचित हुआ था। तत्पश्चात् अभियोजन द्वारा सात गवाह परीक्षित कराये गये तथा पत्रावली दिनांक 04.12.2024 को बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में नियत की गयी। दिनांक 04.12.2024 को बचाव पक्ष द्वारा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित न करवाते हुये आवेदक/अभियुक्त रामनरेश की ओर से प्रार्थनापत्र 126क अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जो कि न्यायालय के मत में, काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 04.12.2024 से पत्रावली धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में नियत रही, तत्पश्चात् आवेदक/अभियुक्त रामनरेश द्वारा प्रार्थनापत्र 126क अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है।

विधि व्यवस्था **मोहनलाल शामजी सोनी बनाम यूनियन आफ इण्डिया** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि "the court should not use section 311 CrPC to fill a Lacuna left by the prosecution."

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त

रामनरेश का प्रार्थनापत्र 126क अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रामनरेश द्वारा प्रस्तुत **प्रार्थनापत्र 126क, अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता** निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते दिनांक 18.02.2025 को पेश हो।

(प्रभात कुमार यादव)
षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
06.02.2025

अभिनव मिश्रा
आशुलिपिक

Digitally signed by PRABHAT KUMAR YADAV
Date: 2025.02.07 16:23:40 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court, Raebareli